भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3356

सोमवार, 9 दिसम्बर, 2019/18 अग्रहायण, 1941 (शक)

शेयर बाजार में ईपीएफओ निवेश

3356. श्री पी. वेलुसामी:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यद्यपि आज ईपीएफओ (कर्मचारी भविष्य निधि संगठन) का बाजार एक्सपोजर केवल सरकार और कॉरपोरेट फंड तक सीमित है, लेकिन 31 मार्च को ईपीएफओ के केंद्रीय न्यासी बोर्ड ने शेयर बाजार में निवेश करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इक्विटी शेयरों में निवेश करने के ईपीएफओ के इस फैसले पर मजदूर संघों ने सहमति व्यक्त की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इसमें कितनी राशि निवेश की जानी है और इसके अस्थिर बाजार के कारण इक्विटी में निवेश की जाने वाली राशि के मूलधन और लाभांश को सुरक्षित करने के लिए क्या सावधानियां बरती गई हैं?

उत्तर

श्रम एवं रोजगार राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (ङ): कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) सरकार की निवेश नीति के अनुसार अपनी निधि का निवेश सरकारी प्रतिभूतियों और ऋण-पत्रों के अलावा विनिमय व्यापार निधि(ईटीएफ) में कर रहा है।

सितम्बर, 2019 की स्थिति के अनुसार ईपीएफओ द्वारा ईटीएफ में निवेश की गई कुल राशि 86,966 करोड़ रुपये है।

*****